

चेक लिस्ट क्रमांक संख्या 35

राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र
संलग्न है



कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख), बिलासपुर, छत्तीसगढ़

Email- landrecord.bilaspur@gmail.com Ph. No. & Fax No.- 07752-250084 Pin Code-495001

-::ज्ञापन::=

क्रमांक/1108 /भू.अ./स.अ.भू.अ./2020

बिलासपुर, दिनांक 08/07/2020

प्रति,

परियोजना निर्देशक,

भा.रा.रा.प्रा.प.का.ई.,

बिलासपुर(छ.ग.)

विषय:- बिलासपुर-उरगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 130ए फोरलेन रोड चौड़ीकरण के अंतर्गत जिला-बिलासपुर में प्रभावित राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

संदर्भ:- 1. आपका पत्र क्रमांक 5961, दिनांक 15/06/2020

2. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मस्तुरी का पत्र क्र. 2319, दिनांक 01.07.2020

*****0000*****

उपरोक्त बिलासपुर-उरगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 130ए फोरलेन रोड चौड़ीकरण के अंतर्गत जिला-बिलासपुर में प्रभावित राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र आपकी ओर प्रेषित है।


संयुक्त कलेक्टर

हेतु- कलेक्टर, बिलासपुर

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) बिलासपुर (छ0ग0)

— :: अनापत्ति प्रमाण पत्र ::—

कमांक / 1108/ भू0अ0/स0अ0भू0अ0/2020

बिलासपुर दिनांक 08.7.2020

परियोजना निर्देशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क0 130 ए. बिलासपुर (छ0ग0) का ज्ञापन क0 27011/7/2020/प0नि0बिला./बिलासपुर-उरगा/फॉरेस्ट/5961, दिनांक 15.6.2020 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग क0 130ए. बिलासपुर-उरगा 4 लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य जो जिला बिलासपुर के तहसील-मस्तूरी के राजस्व ग्राम-मुड़पार प्रभावित हो रहा है, निम्नांकित अनुसूची-1 में अंकित राजस्व वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किए जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र चाहा गया है :-

— अनुसूची —

क्र०	जिला	तहसील	ग्राम	ख०न०	गैर वानिकी उपयोग हेतु आवश्यक प्रस्तावित रकबा (हे०में०)	मद
1	2	3	4	5	6	7
1	बिलासपुर	मस्तूरी	मुड़पार	310	0.650	छोटे झाड़ का जंगल
2				138	0.047	
3				41 / 1	0.074	बड़े झाड़ का जंगल / राजस्व भूमि
कुल योग :-					0.771	

1. प्रस्तावित भूमि राजस्व अभिलेख में छोट/बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है, जो राजस्व वन भूमि श्रेणी में है। जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है। अतएव उक्त भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने के संबंध में विधिवत वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा, यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू-प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा विषयांकित कार्य के संपादन के ग्राम में स्थित धार्मिक या सामाजिक विन्यास को प्रभावित नहीं की जाती है तो इस विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

2. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2007 एवं संशोधित नियम 2012 के संबंध में आवेदित ख0न0 में ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा प्राप्त प्रस्ताव में कोई भी वन अधिकार मान्यता पत्र जारी नहीं किया गया है, तथा किसी भी प्रकार का विशेष पिछड़ी जनजाति (PTG) निवासरत नहीं है।

 8/7/2020.

3. उपरोक्त अनुसूची-1 में उल्लेखित आवेदित राजस्व वनभूमि में से कॉलम 6 में अंकित रकबा को लोकहित में शासकीय प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130ए के बिलासपुर-उरगा मार्ग (छत्तीसगढ़ सीमा) में 4 लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैरवानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग करने की अनुमति यदि सक्षम विभाग द्वारा प्रदान की जाती है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

 8/7/2020.

कलेक्टर

जिला-बिलासपुर (छ0ग0)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority Of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिलासपुर

Office of Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur

डी-61, एच.आई.जी.-1, अभिलाषा परिसर, नया बस स्टैंड के पीछे, त्रिफरा, बिलासपुर (छ.ग.)

D-61, HIG-1, Abhilasha Parisar, Behind Hitech Bus Stand, Tifra, Bilaspur (C.G.) 495001

दूरभाष : 07752.291604

Phone : 07752-7291604

Email : piubilaspur@nhai.org

Email : piubilaspur@gmail.com

Web : www.nhai.gov.in



भारतमाला
प्रगति के पथ पर अग्रसर

Undertaking

National Highway Authority of India, Bilaspur hereby gives the undertaking that the Collector NOC for Revenue Forest Land applied for Diversion of 4.38 ha in Janjgir-Champa Forest Division for proposed Development of Economic Corridors, Inter Corridors, Feeder Routes and National Corridors to improve the efficiency of freight movement in India under Bharatmala Pariyojana [Lot-3/Chhattisgarh/Package-1(Bilaspur Uрга Section)] has been applied to Collector Janjgir-Champa and it will be submitted before Stage-I approval.

Considering above, and accept project for further process.

[Handwritten signature]
23/03/2020.

Project Director,
NHAI, PIU Bilaspur (C.G.)

PROJECT DIRECTOR
NHAI, PIU, Bilaspur (C.G.)

[Handwritten signature]
वनमंडलाधिकारी
जांजगीर-चांपा वनमंडल